RPSC Main Exam 2024 : Test Series
Assistant Engineer

विषय : हिन्दी
(FULL SYLLABUS TEST)

अनिवार्य प्रश्न पत्र : 13 | परीक्षा की तिथि : 22-02-2026

विस्तार–पूर्ण उत्तर

1. (क) (i) सप्त + ऋषि = सप्तर्षि

(ii) पो + इत्र = पवित्र

(ख) (i) संलग्न = सम् + लग्न

(ii) सर्वाधिक = सर्व + अधिक

2. (क) अव (नीचे, हीन, अभाव, पतन): अवगत, अवस्था, अवकाश, अवज्ञा, अवतार, अवगुण, अवसाद, अवसर, इत्यादि।

(ख) (i) बहिर्मुख = बहिः

(ii) उत्कर्ष = उत्

3. (क) (i) आक = तैराक, उड़ाक

(ii) हरा = सुनहरा, दोहरा, तिहरा

(ख) (i) चुनौती = औती

(ii) हथेली = एली

4. (क) (i) वरिष्ठ = कनिष्ठ

(ii) व्यभिचारी = सदाचारी

(ख) (i) शिकारी : आखेटक, व्याध, लुब्धक, बहेलिया, इत्यादि।

(ii) सर्प : अहि, भुजंग, साँप, सरीसृप, विषधर, व्याल, फणी, मणिधर, इत्यादि।

5. (i) तरंग – तुरंग = लहर – घोड़ा

(ii) तरणि – तरूणि = सूर्य – युवती

6. (i) जो परीक्षा में सफल हो गया हो : उत्तीर्ण

(ii) जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो : उल्लेखनीय

(iii) जो जानने योग्य हो : ज्ञातव्य

(iv) भौंहों के बीच का ऊपरी भाग : त्रिकुटी

7. (i) प्रार्दुभाव : प्रादुर्भाव

(ii) हस्ताक्षेप : हस्तक्षेप

(iii) कालीदास : कालिदास

(iv) वधु : वधू

8. (i) हमें अपना निजी काम करना चाहिए। : हमें अपना काम करना चाहिए।

(ii) आँख से आँसू निकल पड़ा। : आँखों से आँसू निकल पड़े।

(iii) तुम कौन से गाँव से आये हो? : तुम किस गाँव से आये हो?

(iv) एक चाय का प्याला लाओ। : एक प्याला चाय लाओ।

9. (क) (i) अंक में भरना : (प्यार से गोद में लेना) → वर्षों बाद घर आये पुत्र को वृद्ध पिता ने अंक में भर लिया।

(ii) उबल पड़ना : (एक दम क्रोधित होना) → कुछ शिक्षक विद्यार्थियों की जरा सी गलती पर उबल पड़ते हैं।

(iii) ककड़ी खीरा समझना : (तुच्छ या नगण्य समझना) → मैं किसी से भी निपट सकता हूँ, मुझे ककड़ी खीरा मत समझो।

(iv) खार खाना : (द्वेष रखना; चिढ़ जाना) → आजकल वह मुझसे खार खाए रहता है।

(v) घड़ों पानी पड़ना : (अत्यन्त लज्जित होना) → चोरी करते रंगे हाथ पकड़े जाने पर उस पर मानो घड़ों पानी पड़ गया हो।

(vi) दो टूक बात करना : (स्पष्ट रूप से बात करना) → बकाया रकम के भुगतान को लेकर मैंने उससे दो टूक बात की।

(ख) (i) आग खाएगा तो अंगार उगलेगा :
(बुरे काम का बुरा फल) → चोरी करेगा तो जेल जाएगा ही। आग खाएगा तो अंगार उगलेगा।

(ii) इन तिलों में तेल नहीं :
(यहाँ से कुछ हासिल होना नहीं) → सौरभ के दरवाजे पर भीख नहीं मिलने पर भिखारी ने कहा – इन तिलों में तेल नहीं।

(iii) खुदा गंजे को नाखून न दे :
(नासमझ आदमी अधिकार पाकर अपनी ही हानि कर बैठता है।) → विधायक जी मंत्री बनते ही घोटाला करने लगे। इसलिए सच ही कहा गया है कि खुदा गंजे को नाखून न दे।

(iv) चोर से कहे चोरी कर, साहू से कहे जागते रहो :
(दो दलों को लड़ाने का प्रयत्न करना) → मुखिया ने दोनों पक्षों को आपस में भड़का कर लड़ा दिया, उसी तरह जैसे कोई चोर से कहे चोरी करो, साहू से कहे जागते रहो।

(v) थोथा चना, बाजे घना :
(असमर्थ व्यक्ति अधिक बातें करता है।) → अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो यह काम करके दिखाओ, तुम्हारे डींगें हाँकने से लगता है, थोथा चना, बाजे घना।

(vi) पानी मथने से घी नहीं निकलता :
(व्यर्थ की बहस से कोई लाभ नहीं) → इससे बहस करने से कोई लाभ नही है, क्योंकि पानी मथने से घी नहीं निकलता।

10. (i) Polyandry : बहू–पतित्व

(ii) Haphazard : अव्यवस्थित, अक्रम, श्रृंखलाबद्ध

(iii) Effigy : पुतला

(iv) Bias : पूर्वाग्रह

(v) Conferred : प्रदत्त, अर्पित

(vi) In Toto : पूर्णतया

(vii) Mascot : शुभंकर

(viii) Rebuttal : खण्डन

मॉडल उत्तर

11. (क) शीर्षक : कल्पनाएँ और नैतिकता; इन्द्रियों पर नियंत्रण; प्रलोभन और इन्द्रियों का जुड़ाव, इत्यादि।

संक्षिप्तीकरण : जीवन में प्रलोभन जो कि मनुष्य के पतन का कारण बनती हैं, तभी जागृत होती है जब मनुष्य कल्पना के सागर में उतरते हुए अपनी इन्द्रियों पर संयम नहीं रख पाता। इन्द्रियों को स्वतंत्र छोड़ने का अभिप्राय है कि मनुष्य की चिंतनशील अभिव्यक्तियों का गुलाम होना। जब मनुष्य की कल्पना और उत्सुकता किसी वस्तु से जुड़ती है तभी उसमें आकर्षण पैदा होता है, जिससे इंसान के विवेक का नियंत्रण ढ़ीला पड़ने लगता है। मनुष्य को अपनी इन्द्रियों को रोकने के बजाय अपनी रूचि के अनुसार उसका सही उपयोग करना चाहिए।

(ख) इन्द्रियों के स्वतंत्र होते ही मनुष्य की चिंतनशील अभिव्यक्तियाँ गुलाम होने लगती हैं। इन्द्रियों के प्रति हमारी सतर्कता गायब होने लगती हैं और विवेक का नियंत्रण ढ़ीला पड़ने लगता है।

(ग) सहप्रवृत्ति का तात्पर्य है – मन की वह स्थिति जिसमें वह किसी ऐसे काम या बात की ओर अग्रसर होता है जो उसे प्रिय तथा रूचिकर होती है।

12. (i) संत कबीरदास के अनुसार, किसी व्यक्ति की पहचान उसके जन्म या कुल (जाति) से नहीं, बल्कि उसके द्वारा अर्जित 'ज्ञान' और 'चरित्र' से होनी चाहिए। व्यक्ति किस परिवेश में जन्मा है, यह उसकी बौद्धिक श्रेष्ठता का मापदंड नहीं हो सकता। विद्वता और विवेक किसी जाति विशेष का विरासत नहीं हो सकता।

इस विचार को स्पष्ट करने हेतु कबीर ने तलवार और म्यान का सटीक दृष्टांत दिया है। युद्ध के मैदान में विजय तलवार की धार और मजबूती से मिलती है, न कि उसकी सुंदर 'म्यान' से। म्यान केवल एक आवरण है, जबकि तलवार वह वास्तविक शक्ति है जो परिणाम बदलती है। इसी प्रकार, जाति एक सामाजिक आवरण मात्र है, जबकि ज्ञान वह तत्व है जो मानवता का कल्याण करता है।

आज के प्रशासनिक और लोकतांत्रिक युग में भी यह विचार अत्यंत प्रासंगिक है। भारतीय संविधान का मूल दर्शन भी जन्म के आधार पर भेदभाव को नकार कर 'समानता' और 'योग्यता' को सर्वोपरि मानता है।

अतः समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए हमें निरर्थक सामाजिक भेदों को छोड़कर व्यक्ति के गुणों और उसकी उपयोगिता का सम्मान करना चाहिए। सारहीन वस्तु का त्याग कर 'सार' को ग्रहण करना ही बुद्धिमानी है।

अथवा

(ii) शिक्षा का अर्थ है शिक्षित करना, ऊपर उठाना, पालन–पोषण करना, प्रशिक्षण देना, संवर्द्धन, नैतिक उत्थान, जीवन मूल्यों का विकास, चारित्रिक गठन तथा पथ प्रदर्शन करना। मानव के विकास की प्रथम सीढ़ी है 'शिक्षा'। इसके बिना एक सम्पूर्ण व्यक्तित्व की कल्पना करना असंभव है। यह मानव के सम्मान के विषय के साथ–साथ उसके विकास की बात भी करता है। मानव अपनी सुरक्षा को निश्चित करने के लिए ही शिक्षा की शरण में जाता है। शिक्षा व्यक्ति को उसका पथ प्रदर्शन करती है। वर्तमान समाज में जहां भ्रष्टाचार, आतंकवाद, बेरोजगारी जैसी कई बुराइयाँ

फैली हुई हैं वहां शिक्षा इन समस्याओं के समाधान में अपनी भूमिका निभा रही है या निभाने में सक्षम है।

शिक्षा से दुनिया में मौजूद सभी चीजों के बारे में पता चलता है। शिक्षा इंसान के मस्तिष्क और व्यक्तित्व को पूरी तरह बदल देती है और उसे सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है। शिक्षा के माध्यम से ही इंसान अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकता है।

साधारण शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति के लिए तैयार करे। शिक्षा वह है जो आस–पास के वातावरण के अवलोकन को आधार बनाकर दी जाए। इसलिए कहा गया है कि संसार में जितनी प्रकार की प्राप्तियां हैं, शिक्षा सबसे बढ़कर है।

13. राजस्थान सरकार
लोक निर्माण विभाग, जयपुर
अर्द्ध.शा. पत्र संख्याः सावि/मुअ/2026/542

सेवा में,
श्री निरज कुमार,
अधीक्षण अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, बीकानेर

प्रिय श्री निरज कुमार,

जैसा कि आपको विदित है, राज्य राजमार्ग संख्या–15 के नवीनीकरण का कार्य विभाग की प्राथमिकता सूची में है। हाल ही में प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि कार्य की गति निर्धारित लक्ष्यों से पीछे चल रही है। साथ ही, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को लेकर भी कुछ स्थानीय शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

चूंकि यह मार्ग सामरिक और सार्वजनिक आवागमन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः मेरा आपसे व्यक्तिगत आग्रह है कि आप स्वयं कार्यस्थल का निरीक्षण करें। कृपया यह सुनिश्चित करें कि डामरीकरण का कार्य विभागीय मापदंडों के अनुरूप हो और परियोजना आगामी मानसून से पूर्व अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाए।

इस संबंध में की गई कार्रवाई से मुझे पाक्षिक आधार पर अवगत कराते रहें।

शुभकामनाओं सहित,

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(सौरभ कुमार)

दिनांकः 22 फरवरी, 2026

अथवा

राजस्थान सरकार निदेशालय,

महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर

अर्द्ध.शा. पत्र संख्याः मबावि/2026/912

दिनांकः 22 फरवरी, 2026

प्रिय श्री विवेक,

कृपया मेरे पूर्व अर्द्धशासकीय पत्र संख्या मबावि/2026/750, दिनांक 12 जनवरी, 2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जो 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' के द्वितीय चरण के लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन और लंबित आवेदनों के निस्तारण के संबंध में था।

उक्त सूचना प्राप्त न होने के कारण राज्य स्तर पर बजट हस्तांतरण की प्रक्रिया रुकी हुई है। विभाग की प्राथमिकता वाली इस योजना में हो रहे विलंब को उच्च स्तर पर गंभीरता से लिया गया है। समीक्षा में पाया गया है कि आपके जिले में सत्यापन का प्रतिशत राज्य औसत से काफी कम है।

अतः मेरा आपसे पुनः व्यक्तिगत आग्रह है कि आप स्वयं प्रखण्ड स्तर के अधिकारियों की बैठक लेकर इस कार्य की प्रगति की समीक्षा करें और अद्यतन रिपोर्ट आगामी तीन कार्य दिवसों में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सद्भावी,

(हस्ताक्षर)

(आभा सिंह)

सेवा में,

श्री विवेक गुप्ता, जिला कार्यक्रम अधिकारी,

महिला एवं बाल विकास विभाग, झुंझुनू, राजस्थान

14. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांकः रालोसेआ/प.अनु./2026/45 **दिनांकः** 16 फरवरी, 2026

विज्ञप्ति

आयोग द्वारा सहायक अभियंता (AEN) संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा–2024 का आयोजन दिनांक 22 मार्च 2026 से 23 मार्च, 2026 तक राजस्थान के समस्त संभागीय मुख्यालयों पर किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

उक्त परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम एवं परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.rpsc.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से एक सप्ताह पूर्व आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा संबंधी सरकारी नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

(हस्ताक्षर)

सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग

अथवा

अधिसूचना

जिलाधिकारी कार्यालय, जयपुर

क्रमांकः राशा/2025-26/67 दिनांकः 22 फरवरी, 2026

आगामी होली त्योहार मेला को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन, जयपुर सभी कर्मचारियों को यह निर्देश देता है कि कानून–व्यवस्था का समुचित ख्याल रखा जाए ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। इसके साथ ही जिला–प्रशासन त्योहार में शामिल लोगों की सुविधा के लिए उचित प्रबंध सुनिश्चित करे।

निम्नलिखित को प्रेषित की गई –

1. जिला पुलिस अधीक्षक, जयपुर
2. मुख्य सचिव, राजस्थान
3. मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर

(हस्ताक्षर)
आदित्य राज
जिलाधिकारी, जयपुर

15. लोकतंत्र केवल आवधिक चुनावों पर आधारित शासन की एक प्रणाली मात्र नहीं है; यह जीवन जीने का एक तरीका है जो अपने नागरिकों से सक्रिय भागीदारी और निरंतर सतर्कता की मांग करता है। एक लोकतांत्रिक ढांचे की सफलता मुख्य रूप से उन लोगों की जागरूकता और सहभागिता पर निर्भर करती है जिनकी वह सेवा करता है। जहाँ संविधान प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, वहीं यह सामाजिक ताने–बाने को बनाए रखने के लिए कुछ मौलिक कर्तव्यों की पूर्ति की भी अपेक्षा करता है। एक जीवंत लोकतंत्र में, नागरिक की भूमिका हर पांच साल में एक बार वोट डालने तक सीमित नहीं है। इसमें राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में अच्छी तरह से सूचित होना, राज्य की नीतियों पर प्रश्न उठाना और विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेना शामिल है।

हालाँकि, गलत सूचना और डिजिटल दुष्प्रचार की बढ़ती लहर ने एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक सूचित विमर्श के समक्ष एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर दिया है। तथ्यों और बनावटी बातों के बीच अंतर करने के लिए नागरिकों को आलोचनात्मक जांच की भावना विकसित करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, सामाजिक सद्भाव और सहिष्णुता हमारे जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र के आधारस्तंभ हैं। एक आदर्श नागरिक वह है जो कानून के शासन का सम्मान करता है और ईमानदारी के माध्यम से देश की प्रगति में योगदान देता है। अंततः, एक सरकार उतनी ही अच्छी होती है जितने उसे चुनने वाले नागरिक; इसलिए, हमारे लोकतंत्र की गुणवत्ता हमारे सामूहिक चरित्र और नागरिक जिम्मेदारी का प्रतिबिंब है।

16. (i) आरक्षण : जातिगत या आर्थिक आधार

प्रस्तावनाः आरक्षण का अर्थ है कुछ वंचित या आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कुछ पदों को बचाकर उपलब्धता सुनिश्चित करना। भारतीय समाज अनेक वर्गों एवं जातियों में बँटा हुआ है। इनमें प्रमुख हैं–सबल वर्ग जो साधन–संपन्न हैं तथा दूसरे वे जो साधन–विपन्न हैं। वे आर्थिक, सामाजिक स्थिति में पिछड़े हुए हैं, इनका सर्वांगीण विकास करना एवं समाज में प्रतिष्ठा एवं सम्मानजनक स्थान दिलाना ही आरक्षण का मुख्य उद्देश्य है।

भूमिकाः संविधान में समानता के अधिकार के प्रावधान के कारण सभी को बिना भेदभाव के समान अवसर प्रदान किए गए। पहले आरक्षण का प्रावधान उन जातियों एवं जनजातियों के लिए रखा गया जो संविधान की अनुसूची में सम्मिलित थीं। बाद में इसका दायरा बढ़ता गया और अब तो नौकरियों में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए अन्य जातियों के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। आज इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। आरक्षण की मूल भावना को तिरोहित कर दिया गया है। आजकल जातियों को चुनाव में मतदान के लिए रिझाने के लिए आरक्षण को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कालांतर में अनुसूची में शामिल जातियों एवं जनजातियों के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की पहचान कर उन्हें भी आरक्षण के दायरे में लाया गया। इससे राजनीतिक दलों में एक होड़–सी आरंभ हो गई कि कौन–सा दल अधिक से अधिक आरक्षण का प्रावधान रखेगा और एक विशाल जनसमूह को आरक्षण का लाभ देगा।

पिछली आधी शताब्दी में आई सामाजिक–आर्थिक जागरूकता के फलस्वरूप समाज के जातिगत शैक्षिक एवं आर्थिक संरचना में व्यापक परिवर्तन आया है। इसलिए इस सामाजिक यथार्थ को ध्यान में रखकर संपूर्ण भारतीय समाज के पुनरीक्षण की आवश्यकता है, जो एक स्वतंत्र आयोग गठित कर किया जा सकता है। आयोग के सुझावों के आधार पर बहुसंख्यक–अल्पसंख्यक, अगड़े–पिछड़ों, अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति को

सामाजिक–शैक्षिक–आर्थिक–राजनीतिक आदि सभी स्तरों पर नए सिरे से परखकर आरक्षण के नवीन मानदंड तय किये जाने चाहिए। आरक्षण व्यवस्था में जाति के साथ–साथ आर्थिक विषमता को भी आवश्यक शर्त के रूप में शामिल किया जाना चाहिए अर्थात् सामाजिक मापदंड के साथ–साथ गरीबी रेखा को भी विचारणीय मुद्दा बनाया जाना चाहिए ताकि समाज के सचमुच वंचित वर्ग को ही इसका लाभ मिले।

निष्कर्ष: आरक्षण वास्तव में समाज के उन्हीं लोगों के लिए हितकर हो सकता है जो वास्तव में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं किंतु शिक्षा और गुण होते हुए भी अन्य लोगों से जीवन में पीछे रह जाते हैं । उन गरीब लोगों के लिए भी आरक्षण आवश्यक है जो गुणी होते हुए भी गरीबी में जीवन बिता रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकारी नौकरीयों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया है।

केवल जाति, धर्म और धन के आधार पर आरक्षण से गुणी व्यक्तियों को पीछे धकेल कर हम देश को नुकसान ही पहुँचा रहे हैं। यह देश जाति–धर्म, धनी–गरीब आदि आधारों पर और अधिक विभाजित होता जा रहा है।

(ii) राजस्थान में महिला सशक्तिकरण

प्रस्तावना: गौरवशाली अतीत और वर्तमान का संगम ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः'' की उदात्त भावना वाली भारतीय संस्कृति में राजस्थान की नारी शक्ति ने त्याग, बलिदान और जौहर का अनुपम इतिहास रचा है। पन्ना धाय के अप्रतिम त्याग, मीरा की अनन्य भक्ति और कालीबाई के साहस की यह धरा आज एक नए युग की साक्षी बन रही है।

भूमिका: वर्तमान में महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया में मुख्यधारा का भागीदार बनाना है।

(I) **राजनीतिक सशक्तिकरण:** राजस्थान ने राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में देश को राह दिखाई है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को दिया गया 50% आरक्षण इसका सबसे सशक्त उदाहरण है। इसके फलस्वरूप आज प्रदेश के गाँवों में 'सरपंच पति' की अवधारणा कमजोर हो रही है और महिला सरपंच स्वयं विकास कार्यों का नेतृत्व कर रही हैं। विधानसभा से लेकर संसद तक राजस्थान की महिलाओं का प्रतिनिधित्व निरंतर बढ़ा है, जो इस बात का प्रतीक है कि राजस्थान की नारी अब नीति–निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

(II) **आर्थिक आत्मनिर्भरता:** आर्थिक स्वतंत्रता ही वास्तविक सशक्तिकरण की नींव है। राजस्थान में 'जीविका' के माध्यम से गठित लाखों स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीण क्षेत्रों में मौन क्रांति ला दी है। इन समूहों के माध्यम से महिलाएँ डेयरी, हस्तशिल्प, सिलाई और लघु उद्योगों के जरिए, 'लखपति दीदी' बनने की राह पर अग्रसर हैं। जब एक महिला आर्थिक रूप से सक्षम होती है, तो उसका सीधा प्रभाव परिवार के पोषण, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर पड़ता है। बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी जैसी पहलों ने महिलाओं को वित्तीय साक्षरता में भी निपुण बनाया है।

(III) शिक्षा और खेलः शिक्षा के क्षेत्र में 'मुख्यमंत्री राजश्री योजना' और 'प्रियदर्शिनी आदर्श योजना' जैसी पहलों ने बालिकाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण बदला है। आज राजस्थान की बेटियाँ न केवल साक्षर हो रही हैं, बल्कि विज्ञान और तकनीक (STEM) में भी रुचि ले रही हैं। खेल जगत में राजस्थान का नाम रोशन करने वाली अवनी लेखरा (पैरा–निशानेबाज), अपूर्वी चंदेला और मंजू बाला जैसी प्रतिभाएँ इस बात का प्रमाण हैं कि उचित अवसर मिलने पर मरुधरा की बेटियाँ विश्व पटल पर तिरंगा फहरा सकती हैं।

(IV) सरकारी प्रयासः राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए एक मजबूत सुरक्षा ढाँचा तैयार किया है। 'उड़ान योजना' के माध्यम से निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण हो या पुलिस थानों में 'महिला डेस्क' की स्थापना, सरकार उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति सजग है। 'इन्दिरा गांधी महिला शक्ति निधि' के माध्यम से महिलाओं के कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(V) चुनौतियाँ और भविष्य की राहः इन उपलब्धियों के बावजूद, मार्ग में अभी भी कुछ सामाजिक कंटक शेष हैं। बाल–विवाह की कुरीति, लैंगिक भेदभाव और डिजिटल साक्षरता का अभाव ऐसी चुनौतियाँ हैं जिनका सामना सामूहिक रूप से करना होगा। सशक्तिकरण केवल कानूनी अधिकारों से नहीं, बल्कि समाज की मानसिकता बदलने से होगा।

निष्कर्ष : महिला सशक्तिकरण राजस्थान के सर्वांगीण विकास का अनिवार्य हिस्सा है। जैसा कि कहा गया है। ''एक शिक्षित पुरुष केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करता है, लेकिन एक शिक्षित महिला पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करती है।'' राजस्थान को 'विकसित राजस्थान @2047' बनाने के लिए आधी आबादी को समान आकाश, समान अवसर और समान सम्मान देना अनिवार्य है। नारी की शक्ति ही राजस्थान की शक्ति बनेगी।

■■■■